



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 10, 2008/पौष 20, 1929

No. 51]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 10, 2008/PAUSA 20, 1929

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2008

का.आ. 72 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् यह राय होने पर कि कृषि के प्रयोजनों के लिए विक्रय किए जाने वाली नीचे सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रकार के, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट बीजों की किस्म की क्वालिटी का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपूर्ण भारत के संबंध में अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	किस्म	प्रकार
(1)	(2)	(3)
1.	मक्का	शरदमनी
2.	मक्का	बायो 22027
3.	गेहूं	विमल
4.	गेहूं	पीबीडब्ल्यू-550
5.	चावल	वरुण धान
6.	सोरघम	एकेएसवी-13 आर (पीकेवी क्रान्ति)
7.	सोरघम	वसुधा (आरएसवी-423)
8.	सोरघम	फूले चित्रा (एसपीवी-1546)

(1)	(2)	(3)
9.	सोरघम	फूले अमरूता (आरएसएसवी-9)
10.	सोरघम	सीएसवी-23 (एसपीवी-1714)
11.	बाजरा	एचएचबी-197 (एमएच-1302)
12.	बाजरा	जीएचबी-757 (एमएच-1328)
13.	बाजरा	जीएचबी-732 (एमएच-1307)
14.	बाजरा	नन्दी-52 (एमएच-1078) (एनएमएच-45)
15.	बाजरा	जीएचबी-744 (एमएच-1272)
16.	बाजरा	प्रायागो 9555 (एमएसएच 167) (पीवी 727)
17.	मटर.	पंत पीए-13
18.	उड़द	पंत उड़द-31
19.	उड़द	पंत उड़द-40
20.	मूंग	सत्तया (एमएच-2-15)
21.	मूंग	पंत मूंग-6 (यूपीएम 02-17)
22.	मूंग	एसएमएल-668
23.	अरहर	नरेन्द्र अरहर-2 (एनडीए-98-1)
24.	लोबिया	गंगौर (जीएनजी-1581)
25.	मूंगफली	गिरनार-2 (पीबीएस-24030)
26.	सूरजमुखी	एलएसएफएच-35
27.	कपास	एकेए-8
28.	कपास	एकेएच-8828
29.	पटसन	आईआरए (जेबीओ-2003-एच)

[फा. सं. 17-7/2007-एस डी-IV]

एस. एल. भट्ट, अपर सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE**  
(Department of Agriculture and Co-operation)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th January, 2008

**S.O. 72(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government after consultation with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (3) of the Table below of the kinds specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, to be sold for the purpose of agriculture, hereby declares that the said varieties of seeds shall be the notified varieties for the whole of India, for the purpose of the said Act, namely :—

**TABLE**

Sl. No.	Kind	Variety
(1)	(2)	(3)
1.	Maize	Sharadmani
2.	Maize	Bio-22027
3.	Wheat	Vimal
4.	Wheat	PBW-550
5.	Rice	Varun Dhan
6.	Sorghum	AKSV-13R (PKV Kranti)
7.	Sorghum	Vasudha (RSV-423)
8.	Sorghum	Phule Chitra (SPV-1546)
9.	Sorghum	Phule Amruta (RSSV-9)
10.	Sorghum	CSV-23 (SPV-1714)
11.	Pearl Millet	HHB-197 (MH-1302)
12.	Pearl Millet	GHB-757 (MH-1328)
13.	Pearl Millet	GHB-732 (MH-1307)
14.	Pearl Millet	Nandi-52 (MH-1078) (NMH-45)
15.	Pearl Millet	GHB-744 (MH-1272)
16.	Pearl Millet	Proagro 555 (MSH 16) (PB 727)
17.	Field pea	Pant Pea-13
18.	Black gram	Pant Urd-31
19.	Black gram	Pant Urd-40
20.	Green gram	Sattya (MH-2-15)
21.	Green gram	Pant Mung-6 (UPM 02-17)
22.	Green gram	SML-668
23.	Pigeon pea	Narendra Arhar-2 (NDA-98-1)
24.	Chickpea	Gangaur (GNG-1581)
25.	Groundnut	Gimar-2 (PBS-24030)
26.	Sunflower	LSFH-35
27.	Cotton	AKA-8
28.	Cotton	AKH-8828
29.	Jute	IRA (JBO-2003-H)

[F. No. 17-7/2007-SD-IV]

S. L. BHAT, Addl. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2008

**का.आ. 73 (अ).**—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, निम्न तालिका के क्रमशः स्तम्भ (3) और (4) में उल्लिखित अंकुरण और शुद्धता की सीमाएं विनिर्दिष्ट करती हैं जैसा कि अधिसूचित प्रकार या किस्म के बीजों के संबंध में अंकुरण और शुद्धता की न्यूनतम सीमा स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित है, अर्थात् :—

**तालिका**

क्रम सं.	प्रकार या किस्म	अंकुरण की न्यूनतम सीमा प्रतिशत में	शुद्धता की न्यूनतम सीमा प्रतिशत में
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ढेंचा	75	98
2.	सनई	80	98
3.	मेस्ता	75	98

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 17-7/2007-एस डी-IV]

एस. एल. भट्ट, अपर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th January, 2008

**S.O. 73 (E).**—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government after consultation with the Central Seed Committee, hereby specifies the limits of germination and purity mentioned in columns (3) and (4) respectively of the Table below, as the minimum limits of germination and purity with respect of the seeds of the notified kind or variety mentioned in the corresponding entry in column (2), namely :—

**TABLE**

Serial number	Kind or Variety	Minimum limit of germination in percentage	Minimum limit of purity in percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Daincha	75	98
2.	Sunhemp	80	98
3.	Mesta	75	98

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 17-7/2007-SD-IV]

S. L. BHAT, Addl. Secy.